

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएस

प्रकरण सं० : 125/2019

अनवान :

1. मेवासिंह पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

बनाम 18.3.19

- वादी

2. रणसिंह पुत्र मोलूराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

3. अजयसिंह पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

4. सुमन लता पुत्री रणसिंह पत्नी राजेश जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा हाल मखोलरानी तहसील व जिला सिरसा।

5. बैंक एस बी आई शाखा डाबडी जरिरे शाखा प्रबन्धक।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 श्री अक्षय कुमार वर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम भिरानी के खाता सं० 396/385 के मु०नं० 445 के किला नं० 5, 6 के प्रत्येक किला की 0.253 है० मु०नं० 446 के किला नं० 1 की 0.253 है०, किला नं० 2 की 0.202 है० किला नं० 3/1 की 0.025 है०, किला नं० 3/2 की 0.127 है० किला नं० 4 ता 6 के प्रत्येक किला नं० 0.253 है०, किला नं० 7/1 की 0.127 है०, 7/2 की 0.0250 है० किला नं० 8 की 0.202 है० किला 9 ता 13 के प्रत्येक किला की 0.2530 है० किला नं० 14 की 0.202 है० किला नं० 15/1 की 0.0130 है०, किला नं० 15/2 की 0.126 है० किला नं० 16 की 0.202 है० किला नं० 17 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है० मु०नं० 447 के किला नं० 1, 10 के प्रत्येक किला की 0.253 है० मु०नं० 457 के किला नं० 1 ता 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है० कुल 8.082 है० बरानी में से प्रतिवादी सं० 1 रणसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है और गांव भिरानी की ही जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता सं० 397/386 के मु०नं० 447 के किला नं० 11 की 0.253 है० किला नं० 20/1 की 0.127 है० किला नं० 20/2 की 0.013 है०, किला नं० 21 की 0.203 है० मु०नं० 456 के किला नं० 1 की 0.253 है० बरानी मय गैर मुमकिन रास्ता 0.013 है० कुल 0.849 है० बरानी 0.836 है० गै०मु० रास्ता 0.013 है० भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 रणसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है में वादी व प्रतिवादी सं० 2 संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 रणसिंह 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं० 3 ने वाद कृषि भूमि से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं० 2 के नाम 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 रणसिंह के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



A  
18.3.19  
(सुखाराम पिण्डेल)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक) भादरा  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएस

प्रकरण सं० : 125/2019

अनवान :

1. मेवासिंह पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

बनाम 18.7.12

— वादी

2. रणसिंह पुत्र मोलूराम जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. अजयसिंह पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. सुमन लता पुत्री रणसिंह पत्नी राजेश जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा हाल मखोलरानी तहसील व जिला सिरसा।
4. बैंक एस बी आई शाखा डाबडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक।

— प्रतिवादी

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : वादी

वकील श्री अक्षय कुमार वर्मा : प्रतिवादी सं० 1 ता 3

निर्णय

दिनांक : 18.07.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम भिरानी के खाता सं० 396/385 के मु०नं० 445 के किला नं० 5, 6 के प्रत्येक किला की 0.253 है० मु०नं० 446 के किला नं० 1 की 0.253 है०, किला नं० 2 की 0.202 है० किला नं० 3/1 की 0.025 है०, किला नं० 3/2 की 0.127 है० किला नं० 4 ता 6 के प्रत्येक किला नं० 0.253 है०, किला नं० 7/1 की 0.127 है०, 7/2 की 0.0250 है० किला नं० 8 की 0.202 है० किला 9 ता 13 के प्रत्येक किला की 0.2530 है० किला नं० 14 की 0.202 है० किला नं० 15/1 की 0.0130 है०, किला नं० 15/2 की 0.126 है० किला नं० 16 की 0.202 है० किला नं० 17 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है० मु०नं० 447 के किला नं० 1, 10 के प्रत्येक किला की 0.253 है० मु०नं० 457 के किला नं० 1 ता 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है० कुल 8.082 है० बारानी में से प्रतिवादी सं० 1 रणसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है और गांव भिरानी की ही जमाबन्दी सम्बत् 2074-77 के खाता सं० 397/386 के मु०नं० 447 के किला नं० 11 की 0.253 है० किला नं० 20/1 की 0.127 है० किला नं० 20/2 की 0.013 है०, किला नं० 21 की 0.203 है० मु०नं० 456 के किला नं० 1 की 0.253 है० बारानी मय गैर मुमकिन रास्ता 0.013 है० कुल 0.849 है० बारानी 0.836 है० गै०मु० रास्ता 0.013 है० भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 रणसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है।

18.7.12

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक)भादरा



उक्त वाद भूमि हिन्दू खानदान की जददी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी सं० 1 रणसिंह को वादी के दादा मोलुराम से विरासतन प्राप्त हुई है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा है तथा वाद भूमि बाबत पक्षकारान में पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 को उक्त भूमि में से 3/8 हिस्सा और प्रतिवादी सं० 1 को 1/8 हिस्सा भूमि प्राप्त हुई है। प्रतिवादीया सं० 3 सुमनलता वादी की बहिन है जो शादीशुदा है और अपने ससुराल में खुशी से आबाद है जिसने अपना हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 के हक में बहिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं० 4 को तर्क किया।

साक्ष्य वादी में मेवासिंह के सशपथ बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम भिरानी खाता सं० 396/385, 397/386 सम्वत् 2074-77 प्रदर्श 2, 3 व प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम भिरानी चक बारानी सम्वत् 2016 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि हिन्दू खानदान की जददी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी सं० 1 रणसिंह को वादी के दादा मोलुराम से विरासतन प्राप्त हुई है वादी का वाद भूमि जन्म से हक हिस्सा है। वाद भूमि की बाबत पक्षकारान का पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादीया सं० 3 वादी की बहन है जिसने वाद भूमि में से अपना हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर तर्क कर दिया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा वकील अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत वाद वादी ने ग्राम भिरानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हक की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में कथन किया है कि भूमि हिन्दू खानदान की जददी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी सं० 1 रणसिंह को वादी के दादा मोलुराम से विरासतन प्राप्त हुई है जिसकी पुष्टि में वादी ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग ग्राम भिरानी चक बारानी सम्वत् 2016 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये है जिसमें वाद कृषि भूमि वादी के दादा मौलु पि०मु० शोमा के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में रणसिंह पुत्र श्री मोलुराम के वारिसान में पत्नि कृष्णा देवी, एक पुत्री सुमन, दो पुत्र मेवासिंह व अजयसिंह होना व इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम भिरानी के खाता सं० 396/385 के मु०नं० 445 के किला नं० 5, 6 के प्रत्येक किला की 0.253 है० मु०नं० 446 के किला नं० 1 की 0.253 है०, किला नं० 2 की 0.202 है० किला नं० 3/1 की 0.025 है०, किला नं० 3/2 की 0.127 है० किला नं० 4 ता 6 के प्रत्येक किला नं० 0.253 है०, किला नं० 7/1 की 0.127 है०,

अ  
सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक) भादरा



## मेवासिंह बनाम रणसिंह आदि

7/2 की 0.0250 है0 किला नं0 8 की 0.202 है0 किला 9 ता 13 के प्रत्येक किला की 0.2530 है0 किला नं0 14 की 0.202 है0 किला नं0 15/1 की 0.0130 है0, किला नं0 15/2 की 0.126 है0 किला नं0 16 की 0.202 है0 किला नं0 17 ता 25 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 447 के किला नं0 1, 10 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 457 के किला नं0 1 ता 5 के प्रत्येक किला की 0.253 है0 कुल 8.082 है0 बारानी में से प्रतिवादी सं0 1 रणसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है और गांव भिरानी की ही जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 के खाता सं0 397/386 के मु0नं0 447 के किला नं0 11 की 0.253 है0 किला नं0 20/1 की 0.127 है0. किला नं0 20/2 की 0.013 है0, किला नं0 21 की 0.203 है0 मु0नं0 456 के किला नं0 1 की 0.253 है0 बारानी मय गैर मुमकिन रास्ता 0.013 है0 कुल 0.849 है0 बारानी 0.836 है0 गै0मु0 रास्ता 0.013 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 रणसिंह के नाम 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज है में वादी व प्रतिवादी सं0 2 संयुक्त रूप से 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रणसिंह 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 3 ने वाद कृषि भूमि से अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 2 के नाम 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रणसिंह के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-07-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



18-7-19  
 (सुखाराम पिण्डेल)  
 सहायक कलक्टर  
 (फास्ट ट्रेक) भादरा  
 सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)  
 भादरा, जिला हनुमानगढ़